

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

19

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)
पत्रांक : 5975 / वाद सं० सी-0727 / एस-5 / 2022

दिनांक: 23/09/2023

श्री अनुराग शर्मा (सोनू),
हाथीखाना, किददूवाला, रायपुर रोड, देहरादून ।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 20 गुणा 25 फीट क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर निर्माण किये जाने एवं मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० आर-0727 / एस-5 / 2022 योजित किया गया था ।

उपरोक्त वाद में दिनांक 04.08.2022 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009, की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी । जिसे स्थल पर दिनांक 05.08.22 को तामिल कराया गया ।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.08.22 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियां नियत की गई नियत तिथियों पर विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा निर्माण को शमन कराने हेतु ऑन लाईन मानचित्र सं०-पी०/सी०/०८३६/२२२३ प्रस्तुत किया गया, मानचित्र शमन योग्य न होने के कारण दिनांक 15.11.22 को प्राधिकरण द्वारा निरस्त किया गया । क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता आख्या दिनांक 02.09.2023 के क्रम में वर्तमान में विपक्षी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनाधिकृत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं आतिथि तक विपक्षी द्वारा अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये । इसी क्रम में विपक्षी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 3643 दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 13.09.2023 की तिथि नियत की गयी नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे । विपक्षी द्वारा आतिथि तक अपने निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है ।

अतः चालानशुदा अवैध निर्माण में सील की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है । इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं ।

-आदेश-

अतः विपक्षी श्री अनुराग शर्मा (सोनू), हाथीखाना, किददूवाला, रायपुर रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/ स्थल पर लगभग 20 गुणा 25 फीट क्षेत्रफल में भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर निर्माण किये जाने एवं मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है । अतः चालानशुदा निर्माण को 28(क) के अन्तर्गत सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं । उक्त अवैध/अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 3.10.23 को सील किया जाना है । आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय । तदनुसार सूचित हो ।

संयुक्त सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

Done

Handwritten signature and initials.